P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-IV*December-2014
E: ISSN NO.: 2349-980X

बाल श्रम–अमानवीय कृत्य

सारांश

मानव जगत में हर्ष, प्रेम, उमंग एवं स्वप्नों का सर्वोत्कृष्ट जीवित पुंज 'बालक' को समझा जाता हैं। बच्चे किसी भी राष्ट्र की विरासत होते हैं, जिनकी समुचित देखभाल एवं विकास पर ही किसी राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। इन्हीं के कन्धों पर मानवता के उज्ज्वल भविष्य की आधार–शिला रखी जा सकती है, किन्तु विडम्बना यह है कि इन बच्चों की एक बडी संख्या ऐसी है जिनका जीवन संघर्षो एवं असामान्य परिस्थिति में बीतता है। प्रश्न यह है कि जिन बच्चों का बचपन ही समस्याओं से घिरा हो उनका भविष्य क्या होगा।

मुख्य शब्द : रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता, बाल श्रमिक

प्रतिभा चौधरी
शोध छात्रा,
समाज शास्त्र विभाग,
मेवाड विश्वविद्यालय।

कमलेश भारद्वाज
एसोसिएट प्रो.
समाज शास्त्र विभाग,
एस.डी.पी.जी.कॉलेज,
गाजियावाद उ.प्र.।

प्रस्तावना

बाल श्रम का अर्थ

आज भी परिवार की आर्थिक विवशताओं के कारण हजारों बच्चे स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुँच पाते तो अनेक अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते है। फलतः न उनका मानसिक विकास हो पाता है और न ही बौद्धिक विकास।

बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन समय है जब न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेदारी। बस हर पल अपनी मस्ती में खोए रहना, खेलना–कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह आवश्यक नही है। खेलने–कूदने के दिनों में कोई बाल श्रम करने को मजबूर हो जाये जो इससे बडी विडम्बना समाज के लिए क्या हो सकती है? बाल श्रम एक ऐसा अभिशाप है जो समाज में सर्वत्र मकडी के जाल सा फैला है। वास्तव में बाल श्रम मानवाधिकारो का हनन है। इन अधिकारों के तहत् शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का हक प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है।

प्राचीनकाल से ही बाल श्रमिक कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यो आदि में कार्यरत रहें है। उस समय गरीबी, रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता आदि के कारण उनकी शिक्षा एवं उनके सर्वांगीण विकास की ओर अधिक ध्यान नही दिया जाता था और उनका बचपन मजदूरी, खेती तथा अन्य कार्यो की बलि चढ़ जाता था। उनके हाथों में कलम और किताब के स्थान पर फावड़ा या हंसिया थमा दिया जाता था। वर्तमान में भी बाल श्रम की समस्या सुरसा की तरह मुँह फैलाए हुए है।कोई भी ऐसा बच्चा, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वह जीविका हेतु कार्य करे, बाल मजदूर कहा जाता है। आज दुनिया भर में 215 मिलियन ऐसे बच्चे है जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है और ये बाल मजदूरी में लगे है।[1]

भारत में यह स्थिति अत्यन्त ही भयावह है। दुनिया के सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही है। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल मजदूरों का आंकड़ा 11.3 मिलियन था जो 2001 में बढ़कर 12.7 मिलियन हो गया।[2]

इस क्षेत्र में कार्यरत एन.जी.ओ. के अनुसार 50.2 प्रतिशत ऐसे बच्चे है जो सप्ताह के सातों दिन कार्य करते हैं। 53.22 प्रतिशत यौन प्रताड़ना के शिकार हो रहे है तथा 50 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिनका शारीरिक शोषण होता है।[3] भारत में बाल मजदूरों की इतनी अधिक संख्या होने का मुख्य कारण गरीबी है। यहाँ एक तरफ तो ऐसे बच्चों का समूह है जो बड़े–बड़े महंगे होटलों का आनंद लेते है तो दूसरी ओर बच्चे गरीब एवं अनाथ भी है और मजबूरन किसी न किसी तरह का श्रम कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 21.5 करोड़ से अधिक बाल मजदूर है। बाल श्रमिकों द्वारा विश्व में सर्वाधिक उत्पाद भारत, बांग्लादेश और फिलिपीन्स में बनाए जाते है।[4]

श्रम मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका के 71 देशों में बाल श्रमिक ईंट और बॉल से लेकर

पोर्नोग्राफी तथा दुर्लभ खनिजों के उत्पादन जैसे कार्यों में संलग्न हैं।श्रम मंत्री हिल्दा सोलिस ने 10वीं वार्षिक रिपोर्ट'बालश्रम का निकृष्ट स्वरूप' पेश करते हुए कहा कि–"मेरा मानना है कि ईश्वर ने सभी को शक्ति प्रदान की है। प्रत्येक बच्चे को अपने सपने को पूरा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।"[5]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि विश्वभर में करीब 21.5 लाख बाल श्रमिक जोखिम भरे काम कर रहे है, जिसमें उनके घायल होने, बीमार पडने और मरने तक का खतरा है।[6]

अपनी एक नई रिपोर्ट 'जोखिम भरे कामों में बच्चे: हम क्या जानते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है' में संगठन ने औद्योगिक और विकासशील देशों के शहरों में हुए अध्ययन का हवाला दिया है।[7] हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2004 और 2008 के बीच जोखिम भरे कामों में लिप्त 05–17 साल की उम्र के बच्चों की संख्या में गिरावट आई है। इस अवधि में 15–17 साल के बाल श्रमिकों की संख्या में 20 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई जो पांच करोड बीस लाख हो गई है। यूनिसेफ ने अपनी वार्षिक रिर्पाट में कहा है कि बच्चों की खरीद; शोषण तथा दुकानों, खदानों, ईंट भटटों और घरेलू कामों में मजदूरी एवं शारीरिक शोषण तथा दुर्व्यवहार की घटना में बढोत्तरी हुई है।[8]

बाल श्रम भारत की अन्य समस्याओं में एक कठिन समस्या है। कामगार परिवारों की 'जितने हाथ उतने काम' वाली मानसिकता ने इसे और भी बढावा दिया। प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग किया गया है। इनसें पुस्तकें, पत्रिकाएं ,जनरल्स, समाचार पत्र एवं इंटरनेट प्रमुख है।

बाल श्रम के कारण

1. **भूख एवं गरीबी**

मानवता के लिए भूख एवं गरीबी वास्तव में सबसे बडा अभिशाप है। गरीबी को सारे पापों व सभी प्रकार की समाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बुराईयों की जड माना जाता है। मानव को जब उदरपूर्ति हेतु पर्याप्त अन्न प्राप्त नहीं होता, शरीर ढकने के लिए वस्त्र तथा सिर छुपाने के लिए छत नही होती तो वह कुछ भी करने के लिए विवश होता है। बच्चों को मजदूरी देने वालों का यह तर्क भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता भूखों मरने व घर से निकाल देने के कारण कम से कम उन्होंने उस बच्चे को काम तो दिया। ऐसे में पहले सवाल पेट का होता है शिक्षा बाद में आती है। इस प्रकार बालश्रम एवं गरीबी के बीच गहरा सम्बन्ध है।

2. **जनसंख्या विस्फोट**

जनसंख्या नियंत्रण में विफलता बालश्रम के लिए उत्तरदायी है। हमारे देश में जो भी जनसंख्या बढ रही है वह अल्पपोषित, गरीब और अनेक नागरिक सुविधाओं से वंचित है। गलियों व सडकों में भीख मांगते बच्चे, बूढे व औरतें, फुटपाथों पर जीवन गुजारते लोग, सिर पर बोझ ढोती महिलाएं व बच्चे वास्तव में योजनाहीन अनियन्त्रित जनसंख्या की वृद्धि का ही परिणाम है।

3. **अशिक्षा व अज्ञानता**

अधिकांश बाल श्रमिकों के माता–पिता अशिक्षा व अज्ञानता के कारण ही बच्चों के तन–मन और जीवन्त भावनाओं की बलि चढा देते है। अनिवार्य शिक्षा ही वह एक मात्र नीतिनियामक हथियार है जो बालश्रम को रोकने की दिशा में कारगर सिद्ध हो सकती है लेकिन भारत में यह विचार अभी परिपक्वता नहीं ला सका है। अशिक्षा भारत में बालश्रम के भयावह स्वरूप का प्रमुख कारण है।

4. **सस्ते श्रम का लालच**

बालश्रम सस्ते मजदूर पाने के लिए निहित स्वार्थो द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है। बीडी, माचिस, कालीन तथा पटाखा उद्योगों में बालश्रमिकों को विशेष रूप से रखा जाता है,क्योंकि ये कम मजदूरी में मिलजाते हैं, दूसरे ये लोग हडताल आदि भी नहीं करते तथा मालिकों की डांट–डपट भी सरलता से सुनते रहते है। 'कम दाम और मनमाना काम' की मनोवृत्ति इन नौनिहालों के शोषण के पीछे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

5. **समाजिक परिवेश**

बालश्रम के लिए अभिवृत्ति तत्व सामाजिक व पारिवारिक परिवेश भी बहुत हद तक उत्तरदायी है। कुछ माता–पिता तो बालश्रम को एक प्रशिक्षण के रूप में लेते हैं तो कुछ अपने निहित स्वार्थो एवं धन के लालच में आकर बच्चों से श्रम कराते हैं। पारिवारिक परिवेश कलहपूर्ण होने के कारण भी बच्चे घर से भाग कर मजदूर बनने को मजबूर हो जाते हैं।

6. **कानून एवं ठोस प्रकिया का अभाव**

सरकार द्वारा बनाये गये बाल मजदूरी रोधक कानून में एक बडी खामी यह है कि इसमें ही बालमजदूरी को बढावा देने वाला प्रावधान भी है। इस कानून में उन बच्चों को काम करने की छूट है, जिसके काम के घंटे तय है। इसी का कुछ लोग फायदा उठा जाते हैं।

7. **जागरूकता का अभाव**

आज भी करोडों लोगों को यह जानकारी नहीं है कि हमारे संविधान में क्या उल्लेख किया गया है, तो वे अपने अधिकारों के बारे में क्या जानेगें। जागरूकता के अभाव के कारण गरीबी के आलम में रहने वाले सिर्फ इस लिए अधिक बच्चे पैदा करते हैं कि होश संभालते ही बच्चे परिवार के लिए कुछ कमा कर लायेंगे।

बाल श्रम और कानून

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कामों में लगाने से रोकने और कुछ अन्य रोजगारों में उनके काम की स्थितियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया। इसमें धारा 3 के अतिरिक्त प्रावधानों पर एक माह की सजा और एक हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून रोजगार के कुछ क्षेत्रों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह कार्य स्थलों पर उनकी कार्य दशा को नियंत्रित करता है। इस कानून के अंतर्गत कोई प्रतिष्ठान जो किसी बच्चे को नियुक्त करता है, उसे उसके नाम, प्रतिष्ठान की परिस्थिति, कार्य की प्रकृति, वास्तविक प्रबंधन के लिए व्यक्ति उनके नाम इत्यादि की जानकारी लिखित रूप में इंस्पेक्टर को भेजनी पड़ेगी।

भारत के संविधान निर्माताओं ने काम करने वाले बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान शामिल करना अनिवार्य समझा।[9]

अनुच्छेद 15 (3), अनुच्छेद 21 ; I),23, 24, 39ई, 45 में बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है।

अनुच्छेद 21 ए– शिक्षा का अधिकार– इसके तहत राज्य 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 23– इससे बेगार को प्रतिबंधित किया गया है।

अनुच्छेद 24– चौदह वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खान में या किसी भी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 39(ई)– राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेगे कि श्रमिकों, पुरूषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो।

अनुच्छेद 45– इसके तहत् राज्य बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देगा।साथ ही भारत सरकार दूसरे राज्यों के साथ मिलकर बाल मजदूरी को खत्म करने की दिशा में तेजी से प्रयासरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए है।

एन.एस.एस.ओ- (NSSO) सर्वेक्षण 2009–10 के अनुसार काम करने वाले बच्चों की संख्या 49.84 लाख के करीब है जिससे इसमें गिरावट का पता चलता है।[12]

जनगणना 2011 के ताजा ऑकड़े हमें बताते है कि 5 से 9 साल की उम्र के 25.33 लाख बच्चे तीन महीने से लेकर 12 महीने तक श्रम करते है।सामाजिक अध्ययन का मानना है कि भारत में 1.53 लाख बच्चे भीख मांगने का काम करते है।[13]

मध्यप्रदेश हीरा और पत्थर खदानों के लिए विख्यात है, किन्तु यहॉ की खदानों से निकला हीरा किसी मजदूर की जिंदगी रोशन नही करता है। ये खदानें बच्चों को अपनी तरफ खींच लेती है और थमा देती है उनको हथौडा, कुदाल और छेनी। उत्तर प्रदेश (21.76 लाख), बिहार (10.88 लाख), राजस्थान (8.48 लाख), महाराष्ट्र (7.28 लाख) और मध्य प्रदेश (7 लाख) समेत पांच प्रमुख राज्यों में 55.41 लाख बच्चे श्रम में लगे हुए है।[14]

भारत की राजधानी सहित देश के सभी क्षेत्रों में बाल श्रम आसानी से दृष्टिगत है। घर से बाहर निकलते ही जो चाय की पहली दुकान होती है वहॉ कोई न कोई 'छोटू' नजर आ ही जाता है। वह चाय के कप साफ करता है और हमें चाय देता है। हम आराम से देश में बढ रहे बाल श्रम पर चर्चा करते हुए उससे चाय ले लेते है और पीने लगते हैं। मगर यह कभी नहीं सोचते कि अभी–अभी हमने भी इसी बाल श्रम को बढ़ावा दिया है।

कैलाश सत्यार्थी

'बचपन बचाओ आंदोलन' के संस्थापक तथा नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी का कहना है कि पूरी दुनिया से बाल श्रम को खत्म करने के लिए अर्न्तराष्ट्रीय बाल श्रम संगठन और 144 देशों ने बच्चों के अधिकारो के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है। जिसका अनुदान करने वाले देश को अपनी सीमा में बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बच्चों की पॉर्नोग्राफी पर पूर्ण रोक लगानी होती है। इन सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल करना होता है। मगर भारत ने अभी तक इसका अनुदान नही किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने बाल अधिकारों पर सम्मेलन के वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अनुदान कर वह दुनिया का 144वॉं देश बन गया है।

सुझाव

अपने देश में बालश्रम एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इनसे निपटने के लिए कई कदम उठाए है।

वर्ष 1979 में भारत सरकार ने 'गुरूपाद स्वामी समिति' का गठन किया था। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था।

बाल मजदूरी की समस्या के समाधान के क्षेत्र में एम.वी. फाउंडेशन द्वारा एक अलग दृष्टिकोण विकसित किया गया। यह संस्थान स्कूल छोडे हुए, नामांकन से वंचित तथा अन्य कार्यरत बच्चों के लिए संयोजन पाठ्यक्रम चला रहा है तथा उनकी उम्र के अनुरूप औपचारिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत स्कूल में नामांकन करा रहा है। यह पद्धति काम करने वाले बच्चों को स्कूल की ओर लाने में काफी हद तक सफल रही है और इसे आंध्र प्रदेश सरकार के साथ आशा, लोक जुम्विश जैसी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी अपनाया है।

ऐसा माना जाता है कि भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 प्रतिशत हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। हमारे देश में हर 10 मे से 9 बच्चे काम करते है।[15] ये बच्चे लगभग 85 प्रतिशत पारम्परिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत है। जबकि 9 प्रतिशत से कम उत्पादन, सेवा और मरम्मती कार्य से जुड़े है।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत हजारों बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। साथ ही विशेष स्कूलों में उनका पुनर्वास भी किया गया है। इन विद्यालयों के विशिष्ट पाठ्यक्रमों के कारण बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में प्रवेश लेने में किसी तरह की परेशानी नही होती। इस परियोजना के तहत बच्चों को नियमित रूप से खानपान एवं चिकित्सीय सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। लेकिन इस तरह की परियोजनाओं के सामने अनेक समस्याएं आती है। सबसे पहले तो सही मायने में बाल मजदूरों की पहचान आवश्यक है। इसके बाद यदि कोई बच्चा 14 वर्ष का हो जाता है, ऐसे में सरकार सहयोग देना बंद कर दे तो मुमकिन है कि एक बार फिर वह बाल श्रम के दलदल में फंस जाए। इसलिए इससे निपटने हेतु कोई ठोस समाधान ढूँढना आवश्यक है।

मौजूदा नियमों के अनुसार जब बच्चा मुख्य धारा के स्कूलों में दाखिला ले लेता है तो ऐसा माना जाता है कि मासिक सहायता बंद कर देनी चाहिए, जबकि बच्चे या माता–पिता ऐसा नहीं चाहते। ऐसे में उनका प्रदर्शन नकारात्मक होता है। क्योंकि अतिरिक्त पैसे के लिए ही तो माता–पिता अपने बच्चों से मजदूरी करवाते है। यह तब तक मिलनी चाहिए जब तक बच्चा पूर्ण रूप से मुख्य धारा में शामिल होने के काबिल न हो जाए।

बाल श्रमिकों के पहचान के समय उनकी उम्र का निर्धारण एक मुख्य बाधक तत्व है। यह भी देखा जाता है कि जिन बाल मजदूरों को मुक्त कराया जाता है, उनका पुनर्वास जल्द नहीं हो पाता, परिणामस्वरूप वे इसी दलदल में दुबारा फॅस जाते है। कई सरकारें बाल श्रमिकों की सही संख्या नहीं बताते जिससे उस राज्य में पुनर्वास या अन्य परियोजनाए चलाने में कठिनाई आती है। अतः यह संख्या

यथासंभव सटीक बताई जानी चाहिए। कुछ मामलो में बाल श्रमिकों की पहचान की जरूरत तो नही है लेकिन इन परियोजनाओं में कुछ बुनियादी संशोधन की आवश्यकता जरूर है। देश से बाल श्रम मिटाने के लिए अधिक समन्वित और सहयोगात्मक रवैया अपनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

बाल श्रम मानव अधिकार का खुला उल्लंघन है। यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्विक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की पहल इस दशा में सराहनीय है। उनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं का प्रारम्भ किया गया है। जिससे उनके जीवन व शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। शिक्षा का अधिकार इस दिशा में सराहनीय कदम है। इसमें कोई शक नही कि बाल श्रम की समस्या किसी देश एवं समाज के लिए अत्यंत घातक एवं विनाशकारी है। इस पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए तथा इसका जड़ से समाप्त होना अति आवश्यक है। इस समस्या को केवल विधि (कानून) के विधान से विराम नहीं दिया जा सकता। इसके लिए सामाजिक चेतना जगाना जरूरी है। ऐसा वातावरण बनना होगा, जहां बच्चों से काम करवाने की प्रवृत्ति में स्वतः ही कमी आये।

संदर्भ सूची

1. मजदूरी के दलदल में फंसा बचपन–स्वप्ना कुमार'
2. वही–
3. वही–
4. समाचार पत्र (वॉशिंगटन) 4 अक्टूबर 2011
5. वही–
6. समाचार पत्र (संयुक्त राष्ट्र) 11 जून 2011
7. वही–
8. रिपोर्ट– जोखिम भरे कामों में बच्चेः हम क्या जानते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है "अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन "
9. रिपोर्ट– युनिसेफ
10. प्रॉब्लेम्स ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया–(राजकुमार सेन एवं आशीष दास गुप्ता 2003)
11. भारतीय संविधान
12. वार्षिक रिपोर्ट–2012–13 पृ0–91– श्रम एवं नियोजन मंत्रालय।
13. देश इसे केवल ढॉकता है– सचिन कुमार जैन।
14. चौथी दुनिया. कॉम
15. श्रम कानून (रेफरेंस बुक–बेयर एक्ट)
16. इंडियन लेबर इयर बुक 2009 एवं 10
17. बाल श्रम का निकृष्ट स्वरूपः 10वीं वार्षिक रिपोर्ट– हिल्दा सोलिस (श्रम मंत्री, संयुक्त राष्ट्र)
18. हिन्दीः वेव दुनिया. कॉम
19. वीलीवनेक्स्ट.ब्लॉग स्पॉट.इन
20. लेबर.निक.इन
21. आइ.एन.डी.जी.इन
22. खासखबर.कॉम